मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

विज्ञापन निरस्त करने की सूचना दिनांक, 01.06.2015

विज्ञापन क्रमांक **01**/चयन/2014, दिनांक 24.02.2014

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
के विज्ञापन एवं साक्षात्कार निरस्त होने की सूचना

01 आयोग द्वारा पशु पालन विभाग , मध्य प्रदेश शासन हेतु पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/चयन/2014, दिनांक **24.02.2014** "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक **03.03.2014** के अंक में प्रकाशित किया गया था । उक्त विज्ञापन के संदर्भ में दिनांक **04.06.2015** से **12.06.2015** तक साक्षात्कार आयोजित किए गए थे।

02 विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ-3-28/2010/पैंतीस, दिनांक 01.06.2015 द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पदों की पूर्ति हेतु प्रेषित मांगपत्र वापस लिया गया है। अतः विभाग द्वारा मांगपत्र वापस लिए जाने के कारण उक्त विज्ञापन तथा दिनांक **04.06.2015** से **12.06.2015** तक साक्षात्कार एतदद्वारा निरस्त किए जाते है।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,
पशुपालन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 3–28/2010/पैंतीस **भोपाल, दिनांक 01.06.2015**

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
इन्दौर।

विषय :– पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के सीधी भरती के पदों की पूर्ति बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 4725/03/2014/चयन, दिनांक 01.06.2015

–:000:–

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/– सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि वर्तमान में विभागीय भरती नियमों मे संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। विभागीय भरती नियमों में संशोधन के उपरांत ही पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर भरती की जाना उचित होगा।

3/– तदनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय पत्र दिनांक 12.09.2013 द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर भरती हेतु मांग–पत्र को वापस लिया जाए।

4/– अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1-6-15

(कमला अजीतवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–28/2010/पैंतीस **भोपाल, दिनांक 01.06.2015**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश, भोपाल

<u>की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग

E:\MANISH - LETTER1.doc-177